न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 154/2025 (GCMS: 2025/230)
राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री गुलशन** पुत्र श्री दौलतराम छाबड़ा उम्र 53 साल जाति अरोड़ा, निवासी 7 जैड श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94603–94676
2. **फर्म/दुकान गुलशन साईकिल वर्क्स**, श्रीकरणपुर चुंगी रोड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब व लिखित बहस पेश की हुई है एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 04.04.2025 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ गुलशन साईकिल वर्क्स, श्रीकरणपुर चुंगी रोड़, श्रीगंगानगर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय गुलशन पुत्र श्री दौलतराम छाबड़ा उम्र 53 साल जाति अरोड़ा निवासी 7 जैड, श्रीगंगानगर बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि दुकान की जांच करने पर दुकान में 01 प्लास्टिक की कैनी में 35 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया मौके पर 03 लोहे की कीप, लोहे का माप (1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर) भी पाई गई। अप्रार्थी ने उक्त प्लास्टिक कैनी में पेट्रोल होना स्वीकार किया।

उनका आगे यह भी कथन है के वह पंजाब के पेट्रोल पंप से पेट्रोल सस्ते दाम पर क्रय कर अपनी दुकान में विक्रय करता है, उसके पास पेट्रोल बेचान/भण्डारण संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट नहीं था।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने मौके पर पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 35 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 03 लोहे की कीप, लोहे के माप (1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर) को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:57 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी गुलशन पुत्र श्री दौलतराम छाबड़ा ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल **(प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचार निवारण)**

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उक्त 35 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 03 लोहे की कीप, लोहे के माप (1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर) को राजसात करने की प्रार्थना की है। ,

इसके विपरीत अप्रार्थी ने कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी से जो 35 लीटर पेट्रोल जब्त होना बताया है वह ना तो मौका पर उसे नापा गया है और न ही पेट्रोलियम पदार्थ होने बाबत एफएसएल करवाई गई है, केवल मात्र **प्रार्थी के कहे अनुसार माना जाकर इस्तगासा पेश कर दिया है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा ना तो प्रार्थी को मौका पर पेट्रोल बेचान करते हुए बताया गया है व ना ही बरवक्त कार्यवाही के कोई व्यक्ति वाहन सहित मौका पर था। ना ही आसपस किसी दुकानदार से हस्ताक्षर करवाये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का स्वयं का मिटट्ी ढोने का काम करता है, स्वयं के जेसीबी मशीन है व स्वयं के खरीदशुदा ट्रैक्टर है। जिनको सम्भालने के लिए प्रार्थी को मौका पर मोटर साईकिल से जाना पड़ता है, जिसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। प्रार्थी द्वारा कभी भी पेट्रोल बेचान संबंधी कार्य नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध मनगढंत झूठी कार्यवाही करके ईस्तगासा पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का मिट्टी ढोने का काम है व प्रार्थी के कई ट्रैक्टर है, जिनमें नापकर तेल / डीजल डाला जाता है। जिसके लिए प्रार्थी के द्वारा केवल एक 5 लीटर की कीप स्वयं के उपयोग के लिए थी। अन्य दो कीप प्रार्थी से बरामद नहीं हुई है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध पेश किये गये उक्त कार्यवाही ड्रॉप की जावे और प्रार्थी से बरामद पेट्रोलियम पदार्थ को वापिस दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक [illegible].4.2025 को अवैध डीजल / पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ गुलशन साईकिल वर्क्स, श्रीकरणपुर चुंगी रोड, श्रीगंगानगर स्थित दुकान पर पहुंचे, वहां उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय गुलशन पुत्र श्री दौलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:57 IST
Reason: SelfAttested

Manju

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

छाबड़ा दिया। दुकान की जांच करने पर वहां में 35 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 03 लोहे की कीप, लोहे के माप (1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर) पाये गये। वक्त पूछताछ गुलशन पुत्र दौलत छाबड़ा ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया। गुलशन पुत्र दौलत छाबड़ा ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान गुलश्न साईकिल वर्क्स स्थित अपनी दुकान पर करता है। वक्त पूछताछ मौके पर गुलशन पुत्र दौलत छाबडा द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 35 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 03 लोहे की कीप, लोहे के माप (1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर) को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। अप्रार्थी गुलशन पुत्र दौलतराम छाबड़ा ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल **(प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का उल्लंघन करने के कारण** 35 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 03 लोहे की कीप, लोहे के माप (1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर) को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी गुलशन पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः-

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी गुलशन से दिनांक 04.04.2025 को 35 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को बेचान करने के कारण जब्त की गई है। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र/बिल या अन्य अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है,।

इस प्रकार अप्रार्थी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लगातार कर रहे है जो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:57 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की स्पष्ट उल्लंघन है।

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 का बिन्दु संख्या 12 निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> विलायको के वर्गीकरण के सम्बन्ध में –स्पष्टीकरण पत्रांक पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट व उपयुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग आपके पत्र क्रमांक रसद/2002/549 दिनांक 06.05.2002 द्वारा चाही गई जानकारी निम्नलिखित है:
>
> 1. पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ जिसक फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.गे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है। ....
>
>   ....
>
>   पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/ एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईंट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।
> 2. उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।
>
>   ....

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग "क" का 30 लीटर तक भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को 35 लीटर पेट्रोल (वर्ग क) का [illegible] रखा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:57 IST
Reason: SelfAttested

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 30 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है, इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी गुलशन द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति (License) न होने के बावजूद भी पेट्रोल का विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय / विक्रय / भण्डारण / परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी गुलशन और उसकी फर्म / दुकान गुलशन साईकिल वर्क्स अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से दिनांक 04.04.2025 को जब्तशुदा 35 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(क्यू)(आर), 3(4)(6), 04 के प्रावधानों की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 35 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 35 पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 35 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगा[illegible] को आ[illegible]। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ [illegible] जवाह[illegible]। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा [illegible]ाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:57 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर